

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1329  
(जिसका उत्तर मंगलवार, 10 मार्च, 2015 को दिया गया)

कारपोरेट घरानों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व  
पर व्यय की गई धनराशि

1329. श्री धीरज प्रसाद साहू :

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारपोरेट घराने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर धनराशि व्यय करते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री

(श्री अरूण जेटली)

(क) और (ख) : वर्तमान वित्त वर्ष कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के कार्यान्वयन का पहला वर्ष है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर कारपोरेट घरानों द्वारा खर्च की गई राशि के ब्यौरे वर्ष 2015 के अंत में कंपनियों द्वारा अनिवार्य सीएसआर प्रकटीकरणों के बाद ही उपलब्ध होने की आशा है।

\*\*\*\*\*